राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का प्रथम दिवस [संख्या १

बुधवार, दिनांक २४ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक ४.४० म० प० विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा शपथ ग्रहण

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : श्री बद्री-प्रसाद !

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने शपथ ग्रहण की)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर) आप क्यों उठ खड़े हुए हैं, 'दा साहब' ! क्या आपकी जगह खाली होने वाली है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : होने वाली है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर में तो सुना था कि 'दा साहब' की जगह खाली होने वाली है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, आपके पक्ष में होने वाली है।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र
(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति)

सचिव विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : २४ फरवरी, १९६५ को विधान सभा के समक्ष दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

राजस्थान विधान सभा सदन के दो माननीय सदस्यों के देहावसान पर श्रद्धांजलियां

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में दो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई जिनमें पहली यह कि तारीख २९ जनवरी, १९६५ को हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री हरदत्तसिहजी का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देहावसान हो गया और अभी २१ फरवरी, १९६५ को सेठ प्रतापसिंहजी, जो धौलपुर से निर्वाचित सदस्य थे, का हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया।

श्री हरदत्तसिहजी पहले बीकानेर स्टेट में सरकारी सर्विस में थे। लेकिन जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो वे त्याग-पत्र देकर बाहर निकल आये और जेल की यातना भी उन्होंने भुगती। और उसके बाद जब बीकानेर में गैर-सरकारी व्यक्तियों और जन-प्रतिनिधियों को लेकर मंत्रिमण्डल बनाया गया तो उसमें वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर लिये गये थे और गृह विभाग और अन्य विभाग उनके पास थे। इस विधान सभा में भी गत चुनाव के बाद वे लगातार हिस्सा लेते रहे और एक कर्मठ व्यक्ति थे। उनका स्वास्थ्य बीच में भी खराब हुआ था लेकिन उसके बाद भी वे लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के साथ हिस्सा लेते रहे। उनका अभाव इस सदन को सदैव खटकेगा। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सेठ प्रतापसिह १९३७ से कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के रूप में काम करते रहे हैं, वैसे इस विधान सभा में वे पिछले चुनाव के बाद ही आये थे। उनको पहले भी हृदय का दौरा हुआ था लेकिन इस बार जब २० तारीख को उनको दौरा हुआ और उसके बाद २१ तारीख को आखिरी जो दौरा हुआ उससे वे नहीं बच पाये और हमारे बीच में से वे भी उठ गये।

दोनों ही व्यक्तियों की सेवायें राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं। मैं सेठ प्रताप-सिंहजी के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि हम दो मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(४. ४५. म० प०)

(सदन ने दो मिनट तक मौन रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की)

(४. ४७. म० प०)

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय नेता ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, वे हमारे सबकी ओर से श्री हरदत्तसिह चौधरी और सेठ प्रतापसिहजी के परिवार वालों के पास पहुंचा दी जायेंगी।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ४८ मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक २५ फरवरी, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(दिनांक २४ फरवरी, १९६५ को डॉ० सम्पूर्णानन्द राज्यपाल महोदय, द्वारा मध्यान्होत्तर ३.३० बजे दिया गया अभिभाषण)

अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में, मैं पुनः आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं।

२. यह बैठक जवाहरलालजी के निधन से हुई महान् राष्ट्रीय क्षति के वातावरण में हो रही है। हम सब ने अपने अपने क्षेत्रों में इस महान् नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है, परन्तु आज जब कि हमारा देश विषम आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से घिरा है, हमें उनके से साहस, दूरदर्शिता तथा स्फूर्तिदायक शक्ति की कमी अधिक तीव्रता से खटकती है। जहां इस देश ने स्वतन्त्रता के पिछले १८ वर्षों में राजनैतिक दृष्टि से एक स्थिर लोकतांत्रिक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त की, वहां दुर्भाग्य से कुछ पड़ोसी देशों ने नाहक झगड़ा ठान लिया। इसलिए यह और भी जरूरी है कि हम आर्थिक उन्नति के लिए सामूहिक प्रयत्न करके, समाजवादी-समाज-व्यवस्था के लिए तन्मयता से परिश्रम करें व राष्ट्रीय हित में आपसी मतभेदों को भुला कर लोकतंत्र की जड़ें, जो हमारे राष्ट्र का आधार हैं, सुदृढ़ बनावें। इन्हीं से हम लोकतंत्रीय जीवन-पद्धति की उत्कृष्टता एव स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकेंगे।

३. पिछला वर्ष आर्थिक दृष्टि से इस राज्य के लिए परीक्षाकाल रहा। अन्न और दूसरी वस्तुओं के भाव बढ़ गये। राज्य के कई भागों को ग्रीष्मकाल में अकाल का सामना करना पड़ा। इन विषम परिस्थितियों में भी, हमने जन-कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है और मैं आगे चल कर आपके सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करूंगा और उन लक्ष्यों का भी, जो हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के लिए स्थिर किए हैं।

४. सन् १९६३ में राज्य के कुछ भागों में अभाव की जो परिस्थिति आरम्भ हुई वह सन् १९६४ के ग्रीष्मकाल तक चलती रही और उस समय तक ४,१०३ ग्रामों के ३१,००० वर्ग मील क्षेत्रफल में बसने वाली करीब २६ लाख जनता इससे प्रभावित हो गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य को एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये लगान की वसूली स्थगित करनी पड़ी। सितम्बर, १९६४ तक अकाल राहत कार्यों में पांच करोड़ चौदह लाख अड़तालीस हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं। छहत्तर लाख पचहत्तर हजार रुपये तकाबी के रूप में बांटे गये हैं। मई और

जून महीनों में राहत कार्यों से रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या १ लाख प्रति दिन पहुंच गई थी। काम करने योग्य और काम करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया गया। अकाल के इस कठिन समय में, जब कि राज्य के साधनों का काफी बड़ा भाग अन्न, पानी और पशुओं के लिए चारा मुहैय्या करने में लग रहा था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहायता आयोग द्वारा २० हजार टन गेहूं की निःशुल्क सहायता इस राज्य को प्राप्त हुई, जिसके लिए सरकार उक्त आयोग की अत्यन्त कृतज्ञ है। इस आयोग ने अकालग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं के लिए २५ हजार टन लाल ज्वार भी दी। चारे के मूल्य में राज्य की ओर से ३ रुपया प्रति मन की रियायत दी गई और राज्य के पशुधन की रक्षा की दृष्टि बाहर से यथासंभव अधिक से अधिक चारा प्राप्त किया गया। राज्य ने जनसेवी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की और उनको जन सहायता के कार्य चलाने के लिए हर प्रकार से प्रोत्साहित किया। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इन संस्थाओं की ओर से राज्य को पूरा सहयोग मिला। वृद्धों और अपाहिजों को राज्य की ओर से निःशुल्क सहायता पहुंचाई गई और इन क्षेत्रों में सस्ता अनाज बेचने तथा मनुष्यों और पशुओं को चिकित्सा संबंधी राहत पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया गया। पिछले वर्ष खरीफ के लिए प्रायः सारे राज्य में वर्षा ठीक रही। फिर भी, राज्य के दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर के कुछ भागों में पछावती बरसात न होने के कारण दस लाख की आबादी वाले करीब २,००० गांव खरीफ १९६४, में अभावग्रस्त हुए। इन जिलों के अभावग्रस्त भाग में, १९६४ में वर्षा की कमी से अगली गर्मी में होने वाले जलाभाव से राहत देने के लिए पनघट के कुओं को गहरा करने और उनकी सफाई और मरम्मत कराने का काम भी हाथ में लिया गया।

५. वर्ष १९६३ के आखिर में ज्योंही अनाज की दरें बढ़ने लगीं, राज्य ने शहरी और ग्रामीण बस्तियों में दिसावरी गेहूं की बिक्री के लिए सस्ते अनाज की दुकानें खोलीं। सन् १९६४ के दौरान में इस राज्य को केन्द्रीय सरकार से करीब ४॥ लाख टन दिसावरी गेहूं मिला। इस समय राज्य को प्रति मास १५,००० टन दिसावरी गेहूं मिलता है, अतः यह गेहूं चुने हुए स्थानों पर ही बांटा जा सकता है। परन्तु खरीफ फसल का अनाज बाजार में आ जाने, व मोटे अनाज के निर्यात पर लगाए प्रतिबंधों से राज्य में अनाज की स्थिति काफी सुधर गई है। मक्का, ज्वार व बाजरे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अनुसार खरीद की २५ प्रतिशत मात्रा ही निर्यात हो सकती है, बशर्ते कि निर्यात किये जाने वाले अनाज की मात्रा के बराबर अनाज राज्य सरकार को बेचा जावे। शेष ५० प्रतिशत अनाज भी राजस्थान में ही बेचा जा सकता है, व पुनः निर्यात नहीं हो सकता।

६. यद्यपि सरकार अनाज की पर्याप्त आमद व उचित वितरण की व्यवस्था रखने में प्रयत्नशील है, तथापि इसमें असमाजिक तत्वों पर काबू पाने के लिए जनता की ओर से पूरे सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि यह तत्व अनाज की कमी के कारण काला-बाजारी व मुनाफाखोरी द्वारा जनसाधारण को कष्ट पहुंचाते हैं। भारत सरकार ने संसद्

द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय संबंधी अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत आने वाले जरायम की सरसरी तहकीकात का विधान कर दिया है, जिससे दोषियों को शीघ्र दण्ड मिल सके। यदि जनता इस संबंध में सचेत रहे तो सरकार के लिए खाद्य—सामग्री के आमद व वितरण में होने वाली अनुचित कार्यवाहियों की रोक अधिक सरलता से की जा सकेगी।

७. उत्पादक को उसके माल का उचित मूल्य मिलने की पक्की व्यवस्था करने के लिए कुछ अनाजों के न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं। यदि मूल्य न्यूनतम सीमा से नीचे गिर जावेंगे तो सरकार चुनी हुई मंडियों में उत्पादकों से उनका अनाज खरीद लेगी। न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने से उत्पादक को प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी अनिश्चितताएं मिटेंगी और अनाज की नियमित आमद में सहायता पहुंचेगी।

८. अनाज वितरण के मामलों में राजस्थान एक पृथक् जोन है, एवं सरकार राज्य की सामान्य जनता को पर्याप्त अनाज देने की व्यवस्था करने के दायित्व के प्रति पूर्ण जागरूक है। फिर भी हम नहीं चाहते कि पड़ोसी राज्यों को, जो पहले से राजस्थान के अतिरिक्त मोटे अनाज के निर्यात पर निर्भर थे, आवश्यकता से अधिक कष्ट झेलना पड़े। जब से मोटे अनाज और चने का निर्यात बन्द हुआ, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों को ऐसा अनाज प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। इसलिए राज्य सरकार ने विशेष परिस्थिति में १०,००० टन मोटे अनाज का गुजरात को निर्यात किये जाने का वचन दिया, जिसमें से ६,६००.५० टन के परमिट दिये जा चुके हैं। १०,१६० टन चना व चने की दाल भी महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, गुजरात और आंध्र प्रदेश को भेजे गये हैं। यदि हमारे पास अतिरिक्त अनाज हुआ और इन राज्यों ने हमारी सहायता मांगी तो हम जो कुछ दे सकते हैं उसे देने में नहीं हिचकिचाएंगे।

९. यद्यपि अभाव की परिस्थितियों और अन्न संकट के कारण पिछले वर्ष सरकार का ध्यान काफी हद तक इन समस्याओं पर लगा रहा, तब भी राज्य की सर्वांगीण उन्नति और विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की गई। इस अवधि में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सीमा में बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश, वस्तुओं के तस्कर व्यापार और विदेशी शक्तियों के गुप्तचर कार्य इत्यादि को रोकने तथा देश की सुरक्षा के उपायों को दृढ़ करने व इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आर्थिक विकास आदि की दिशा में होने वाले प्रयत्नों की निगरानी व समन्वय करने के लिए सन् १९६४ में बोर्डर कमिश्नर का नया पद बनाया गया। खानाबदोश पशु-पालकों के पुनःस्थापन और पिछड़ी हुई जातियों को कृषि भूमि देने के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार के ७६७ परिवारों को १६,२३९ बीघा भूमि दी गई। खानाबदोश पशुपालकों के प्रत्येक परिवार को ५० भेड़ों और २ मेंढ़ों का रेवड़ देने की भी एक योजना तैयार की गई है ताकि भेड़ पालन के काम में उन्नति हो सके। सीमावर्ती जिलों की मुख्य समस्या पेयजल की व्यवस्था है। अन्वेषी—नलकूप संगठन को दो वर्ष की अवधि

Page No.6

में रेगिस्तान इलाके में २५० नलकूप बनाने का काम सौंपा गया है। साथ ही टांकों के निर्माण और पुराने कुओं की मरम्मत की योजना भी बनाई गई है। यातायात व संचार के अच्छे साधन उपलब्ध करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

१०. जैसा कि आप जानते हैं, राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर प्रारम्भ में २३६ करोड़ रुपया व्यय करने का मसविदा बनाया गया था और १६ लाख टन अतिरिक्त अन्न, १.१० लाख टन अतिरिक्त तिलहन, १.५२ लाख गांठ अतिरिक्त कपास और ०.६० लाख टन अतिरिक्त गन्ना पैदा करने का लक्ष्य था। यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस योजना की अवधि में राज्य के सभी गांव और ६७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में ले आया जावे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राज्य के सब हिस्सों में फैलाए जाने की तजवीज थी और यह भी सोचा गया था कि बिजलीघरों की क्षमता २५३ मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लायक कर दी जावे, ३०३ नई बस्तियों में बिजली पहुंचाई जावे और ४,०७५ मील लम्बी सड़कों का निर्माण अथवा मरम्मत हो। समाज-सेवा के क्षेत्र में यह लक्ष्य था कि ६ से ११ वर्ष तक वयःक्रम के ६८.४ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष तक वयःक्रम के २४ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष तक वयःक्रम के ११.१ प्रतिशत बालकों को स्कूलों में दाखिल होने का इन्तजाम किया जावे। यह भी आशा की जाती थी कि चालू मूल्यस्तर के हिसाब से राज्य की जनता की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय द्वितीय योजना में ३२३ रुपये से बढ़ा कर तृतीय योजना के अन्त तक ३५१ रुपये हो जावे और ८ लाख लोगों के लिए नया रोजगार पैदा हो।

११. तीसरी योजना के तीन वर्षों के अन्त तक प्रस्तावित व्यय का ४६ प्रतिशत खर्च हुआ है और इसमें कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन को प्रधानता दी गई है। आशा है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक जन-कल्याण योजनाओं के विविध मदों पर ४८ करोड़ रुपया और व्यय हो जावेगा। यह हर्ष का विषय है कि योजना के प्रथम चार वर्षों में हमने वे लक्ष्य करीब करीब पूर्ण कर लिये हैं, जो वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किये थे। कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों की ओर राज्य सरकार पूरा ध्यान दे रही है। ऐसी आशा है कि इस साल ४.४४ लाख टन अधिक अनाज, ०.४२ लाख टन अधिक तिलहन, ०.३० लाख अधिक कपास की गांठें तथा ०.१५ लाख टन अधिक गन्ना (गुड़) की पैदावार होगी। ज्वार, बाजरा और गेहूं के उत्पादन के लिये पिछले वर्ष सघन कृषि कार्यक्रम आरंभ किए गए और कपास और तिलहन संबंधी "पैकेज" कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया। सन् १६६३ में बरसात धोखा दे गई और १६६४ में शीत लहर से फसल खराब हुई लेकिन सन् १६६४ की खरीफ की फसल अच्छी हुई और अगली रबी की फसल भी अच्छी होने की आशा है। "क्रैश प्रोग्राम" नामक एक कार्यक्रम इस साल हाथ में लिया गया है जिसके अन्तर्गत कुछ चुने हुए कस्बों के आसपास अनाज, फल व तरकारियों की खेती की जायगी। पौध-संरक्षण के कार्यक्रमों को

बढ़ावा देने की दृष्टि से कीटाणु-नाशक दवाइयों पर सरकार ने "सब्सिडी" २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत बढ़ा दी है। भूमि-संरक्षण के कार्यक्रम को प्रधानता दी गई है। तृतीय योजना के चतुर्थ वर्ष की समाप्ति तक ८०.२३ हजार एकड़ भूमि में सम्मोच्य-बन्दी (कन्टूर-बंडिंग) कर दी जावेगी तथा ८९८.४ हजार एकड़ भूमि पर सूखी खेती (ड्राई फार्मिंग) होने लगेगी।

१२. इस राज्य में पशुधन के बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिये कृतसंकल्प है ताकि इससे राज्य की अर्थ व्यवस्था की उन्नति में सहायता मिल सके। पशुपालन के क्षेत्र में भी क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत एक विशेष विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसके अनुसार कुक्कुट पालन, शूकर पालन और 'डेरी' उद्योग का विकास किये जाने की योजना है। पांच कुक्कुट पालन विकास एवं क्रय-विक्रय केन्द्र स्थापित किए गये हैं, और कुक्कुट-दाना तैयार करने का एक कारखाना भी खोला गया है। अलवर में एक शूकर-पालन केन्द्र आरंभ किया गया है तथा वहीं शूकर-मांस की एक फैक्टरी लगाने की भी योजना है। पशु-चिकित्सा पद्धति एवं पशु-रोगों की रोकथाम की दिशा में भी प्रगति की गई है।

१३. राज्य के ऊन उद्योग की उन्नति के लिये अधिक प्रयत्न किए गए। इस वर्ष प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा भेड़-ऊन का वैज्ञानिक कतरण व वर्गीकरण प्रारंभ हो गया है। चालू वर्ष में ८९ कतरण एवं प्रसार केन्द्र और २ ऊन वर्गीकरण केन्द्र चालू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष फंड की सहायता से जयपुर में ऊन वर्गीकरण का एक ट्रेनिंग स्कूल भी आरंभ किया गया है, जहां राष्ट्र संघ के अन्न और कृषि संगठन के वर्गीकरण विशेषज्ञ हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

१४. मत्स्य पालन उद्योग द्वारा राज्य की आर्थिक समृद्धि में काफी योगदान की आशा है, अतः इस वर्ष उदयपुर में एक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इस साल के अन्त तक २ मत्स्य फार्म व ३ मत्स्य नर्सरी बन जाने की आशा है।

१५. औद्योगिक क्रियाशीलता का जो वातावरण यहां गत वर्षों में पैदा किया गया उसकी परिधि बढ़ी है तथा औद्योगिक विकास बराबर प्रगति पर है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों ने काम शुरू कर दिया है:—

(१) राजस्थान रेयन्स लिमिटेड, कोटा।

(२) ओरियेण्टल पॉवर केबल्स, कोटा।

(३) केप्स्टन वाटर-मीटर फैक्ट्री, जयपुर।

(४) तोशनीवाल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, अजमेर।

(५) राजस्थान रोलर फ्लोर मिल्स, कोटा।

(६) दी जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर।

अन्य बड़े उद्योग, जिनमें निकट भविष्य में उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है, वे ये हैं-सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़ में, ऐक्स्ट्रूजन प्लान्ट कोटा में, स्टोनवेयर पाइप प्लान्ट भरतपुर में, वायर क्लॉथ फैक्ट्री जयपुर में और आक्सीजन प्लान्ट कोटा में। नोहर में एक कपड़े की मिल निर्माण की जा रही है, जिसकी क्षमता १२,३२० तकुवे हैं और जो १९६५ के अन्त तक उत्पादन आरंभ कर देगी। जयपुर में पोद्दार स्पिनिंग मिल्स बन चुकी है, जो शीघ्र ही उत्पादन आरंभ कर देगी। निम्नलिखित पार्टियों को अतिरिक्त तकुवों की स्वीकृति मिली है:—

(१) आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ (२५,०००)

(२) श्रीगोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा (२५,०००)

(३) एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्यावर (४,५२०)

कोटा में स्थापित किये जाने वाली उर्वरक फैक्ट्री का निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाने वाला है तथा प्रेसिशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, कोटा का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। भारत सरकार ने राज्य में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लाइसेंस दिए हैं:—

(१) कैमल-बैक, फैन बैल्ट्स व वीयर बैल्ट्स।

(२) चुम्बक, विद्युत्-स्वचालित निर्देश-यंत्र और ट्रांसमीटर।

(३) वायर-एनेमल्स।

(४) हैवी स्ट्रक्चरल्स व एच० टी० बोल्ट्स व नट्स।

(५) कास्ट आयरन कास्टिंग्ज।

भारत सरकार ने रेल-वैगन निर्माण की वार्षिक क्षमता ८७५ तक बढ़ाने व सूत के तकुओं की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति भी प्रदान की है। आशा की जाती है कि राज्य में शीघ्र ही जमाये हुए फीके दूध की फैक्ट्री अलवर भरतपुर क्षेत्र में, दूध के प्रोसेसिंग के लिये एक "डेरी" धोलपुर में, एक मशीनी-कालीनों की फैक्ट्री कोटा में और एक सीमेंट फैक्ट्री दारोली (उदयपुर) में स्थापित हो जावेगी। भारत सरकार ने राज्य के पब्लिक सैक्टर में एक मशीनों के औजार बनाने की फैक्ट्री की स्थापना का भी अनुमोदन किया है। राज्य सरकार बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दरों पर जमीन, ऋण नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता और ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य रियायतें व सुविधायें निरन्तर दे रही है।

१६. राजस्थान हस्तकला उद्योगों द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं की देश-व्यापी मांग को राजस्थान लघु-उद्योग निगम सन्तुष्ट करने की पूरी चेष्टा कर रहा है तथा बीकानेर में ऊन उद्योग का एक संयुक्त युनिट स्थापित करने की भी व्यवस्था कर रहा है।

१७. वर्ष १९६४ में उच्च प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद, विद्युत्-उत्पादन कार्यक्रम में कई कठिनाइयां आई। गांधी-

सागर के जलगृह क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण झील पूरी नहीं भर सकी और जल-संग्रह की इस कमी का असर गांधीसागर विद्युत् केन्द्र के बिजली उत्पादन पर पड़ा। गांधीसागर बिजलीघर राज्य के लिये बिजली का प्रमुख स्रोत है, इसलिए बहुत से उद्योगों व उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की सप्लाई में कमी की गई। बिजली की कमी से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने सभी संभव उपाय किये हैं और एक १३२ किलोवाट क्षमता की आपत्कालीन ट्रांसमिशन लाइन रतनगढ़ से सीकर होकर जयपुर तक विभाग द्वारा बनाई जा रही है, जिसके द्वारा भाखड़ा से ८ मेगावाट बिजली राज्य के चम्बल क्षेत्र में आ सकेगी। १,००० किलोवाट के तीन डीजल सेट राजकीय विद्युत् निगम, पंजाब से प्राप्त किये जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्य-क्रम को बढ़ाने और कृषि कार्य के लिये बिजली के उपभोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खास रियायतें दी जा रही हैं। ऐसी आशा की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बिजली वाले कुओं की संख्या ३,००० तक पहुंच जावेगी और लगभग ५४० वस्तियों में बिजली लगा दी जावेगी। अगले वर्ष भी उन ५०० वस्तियों में बिजली पहुंचाने का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है जहां कृषि विस्तार की अधिक संभावनाएं हैं।

१८. गत वर्ष राज्य सरकार ने निर्माणा-धीन सिंचाई योजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया है। कोटा-बैरेज के दांई व बांई ओर नहरों का काम प्रायः पूरा हो चुका है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना पर निर्माण कार्य संतोष-प्रद रूप से चल रहा है। २४ मध्यम-सिंचाई योजनाएं, जिनका निर्माण पहली अथवा दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, पूरी की जा चुकी हैं, और बाकी ६ योजनाओं पर काम चालू है। इन योजनाओं से सिंचाई के जो साधन उपलब्ध हुए उनसे पूरा पूरा लाभ उठाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गत वर्ष में ७.७ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में कृषि हुई है।

१९. राज्य की योजना में बाढ़ की रोकथाम के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का भी समुचित प्रयास किया गया है। कामा-पहाड़ी नाली पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो १९६५ की वर्षा ऋतु के पहले पूर्ण होने की आशा है। घग्घर नदी को गंगानगर जिले के रेतीले क्षेत्रों की ओर मोड़ने और गंगानगर और भाखड़ा क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि के विस्तृत भूखंडों की जलप्लावन से रक्षा करने के लिए, राज्य सरकार ने एक परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। नोहर, सिद्धमुख व अन्य क्षेत्रों की सिंचाई के लिए घग्घर की बाढ के जल को काम में लाने की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

२०. सड़कों के निर्माण व सुधार, का कार्य आगे बढ़ा है। तृतीय योजना के प्रथम चार वर्षों के अन्त तक २,४००० मील सड़क का निर्माण और सुधार का काम पूरा हो जावेगा। बीकानेर और जोधपुर डिवीजनों में अकाल सहायता के कार्य अन्तर्गत १,०२२ मील सड़क कंकरीट से बनाई गई है व ७५३

मील तक मिट्टी का कार्य भी पूरा हो चुका है। गत वर्ष गंभीरी, सूकरी व चन्द्रावती नदियों पर पुल निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

२१. खनिज क्षेत्र में विकास संतोषप्रद रहा। खनिज एवं भूगर्भ विभाग, महत्वपूर्ण खनिज भंडारों के अन्वेषण में निरन्तर प्रयत्नशील है। छोटे खान मालिकों को तकनीकी पथ-प्रदर्शन व खनिज यंत्रों की सहायता दी गई। एसबेस्ट्स, केलसाइट, डोलोमाइट, लौहचूर्ण, कांच बनाने की बालू, जिप्सम, चूने का पत्थर और श्वेत चिकनी मिट्टी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जनसाधारण, विशेषकर, ग्रामीण जनता, को भवन निर्माण तथा कुंआ, तालाब आदि बनाने व उनकी मरम्मत करने में सुविधा देने के लिए, पत्थर व पट्टी कातलों को छोड़कर, सुगमता से उपलब्ध होने वाली चीजें, जैसे ईंट बनाने की मिट्टी, बजरी, बालू, कंकड़ आदि पर रॉयल्टी वसूली के ठेके देना बन्द कर दिया जावे। राज्य सरकार संगमरमर उद्योग की उन्नति एवं उसमें आधुनिकता लाने के प्रयास कर रही है। एक ग्रेनाइट पालिश योजना भी प्रारंभ की गई है। खनिज सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्य को सघनता से किया जा रहा है। उदयपुर जिले में सीमेंट-ग्रेड चूने के पत्थर के प्रचुर भंडारों की खोज की गई है, और वहां एक सीमेंट का कारखाना लगाया जावेगा। बूंदी और ब्यावर के आसपास भी सीमेंट के कारखाने लगाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां भी प्रचुर मात्रा में चूने के पत्थर के भंडार मिले हैं। चूने के पत्थर के भण्डारों का अन्वेषण कोटपुतली, गोटन-बिलाड़ा व सोजत पेटियों में भी किया जा रहा है। एक नये लिग्नाइट के भंडार का बीकानेर जिले में खारी ग्राम के निकट पता चला है, जहां अभी अन्वेषण चालू है। कटार में कच्चे लोहे का अन्वेषण संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

२२. राज्य सरकार से सहकारिता आन्दोलन को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा। द्वितीय योजना काल की तुलना में न केवल समितियों की संख्या ही बढ़ी है, बल्कि सदस्यों की संख्या भी ६.६८ लाख से बढ़ कर १२.६६ लाख हो गई है। राज्य की ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता और ७६ प्रतिशत गांव सहकारिता के अन्तर्गत आ गए हैं। कस्बों और शहरों में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

२३. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है, यद्यपि वित्तीय कठिनाइयों के कारण भर्ती-क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य पूरे करना कठिन होगा। शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि १९४९ में ९२.६० लाख रुपये से बढ़ कर चालू वित्तीय वर्ष में पन्द्रह करोड़ तीस लाख रुपये तक पहुंच चुकी है।

२४. ६ से ११ वर्ष तक वयःक्रम के स्कूल जाने वाले बच्चों का औसत, जो दूसरी योजना के अन्त में ४०.६ था, बढ़कर १९६४-६५ के अन्त तक ५४.६ हो जावेगा। ६ से ११ वर्ष तक वयःक्रम वाली लड़कियों को पाठशाला में भर्ती करने पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में १७१ प्राथमिक शालाएं खोली गई। "स्कूल चलो" अभियान से प्राथमिक शालाओं में जो छात्र-वृद्धि हुई उसके लिये ७५० नये अध्यापक नियुक्त किये गये। ११ से १४ वर्ष व १४ से १७

वर्ष वय:क्रम के बच्चों का स्कूल में भर्ती का औसत, जो दूसरी योजना के अन्त में क्रमशः १४.४ प्रतिशत व ७.२ प्रतिशत था, बढ़ कर १९६४-६५ के अन्त तक २२ प्रतिशत व १०.२ प्रतिशत हो जायगा।

२५. पिछले वर्ष ३५ राजकीय माध्यमिक शालाओं का स्तर बढ़ा कर उन्हें जूनियर सेकेण्ड्री स्कूल बना दिया गया व दूसरी शालाओं में कक्षाओं के अतिरिक्त वर्ग बढ़ाए गए।

२६. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में कला एवं विज्ञान के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाकर इसे बहु-संकाय विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया है। राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना की जांच कर हमें सलाह देने के लिये समिति नियुक्त की गई थी जिसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है; तथापि ऐसे विश्वविद्यालय के लिए राज्य की चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में उचित प्रावधान कर दिया जावेगा।

२७. जयपुर नगर में मालवीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना से इस राज्य ने तकनीकी-शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की है। अगले वर्ष एक अतिरिक्त पोलीटेक्नीक खोलने एंव इंजीनियरिंग संस्थाओं व पोलीटेक्नीक्स की वर्तमान भर्ती-क्षमता को बढ़ा दिये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

२८. आर्थिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिये उन्नत यातायात व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति हुई है। सरकार का प्रयत्न है कि सुविधापूर्ण यातायात के लिये कुशल व्यवस्था की जावे। सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष तीन अतिरिक्त मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राजस्थान राज्य यातायात निगम ने अक्टूबर, १९६४, से कार्य आरंभ कर दिया है। स्टेट रोडवेज़ के यातायात साधन अब इस निगम को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। अगले वर्ष यातायात निगम द्वारा "ए" श्रेणी के करीब चार सौ मील लम्बे मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने एवं मार्गों पर गाड़ियों की संख्या प्रचुर मात्रा में बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। इस निगम द्वारा राज्य की यातायात संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण भी किया जावेगा।

२९. चिकित्सा-सुविधा के क्षेत्र में गत वर्ष अजमेर और जोधपुर में १००-१०० शैयाओं की दो क्षय रोग निवारक आरोग्य-शालाएं खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। झुंझुनू और सरदारशहर में दो नये अस्पताल खोले जा रहे हैं, जिनमें जनता ने भवन निर्माण का खर्चा दिया है। जोधपुर के मानसिक चिकित्सालय में ४० शैयाएं बढ़ाई गई हैं।

३०. बढ़ती हुई जन-संख्या की वर्तमान गति-विधि को देखते हुए राज्य के परिवार नियोजन कार्य-क्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा। चतुर्थ योजना काल में परिवार नियोजन के कार्य-क्रमों को सफल बनाने के अभिप्राय से विशेष प्रोत्साहन देने

एवं कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का विचार है।

३१. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास को भी उचित महत्व दिया गया है। योजना के अन्तर्गत इस दिशा में जो लक्ष्य रखे गये थे, उनकी पूर्ति हो गई है। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक पंचायत समिति क्षेत्र में प्रति १४ हजार जनसंख्या के पीछे एक आयुर्वेदिक औषधालय और पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रति ८ हजार जनसंख्या के पीछे एक औषधालय हो जावेगा।

३२. गत वर्ष बाजार भावों में तेजी आ जाने के कारण राजस्थान में मालिकों व श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना कठिन रहा, जिसका अनुमान हड़तालों, तालाबन्दियों व कामबन्दियों की बढ़ी हुई संख्या से लगता है। फिर भी इस बात का हर्ष है कि इन सबके बावजूद कार्य के दिनों की हानि पिछले वर्षों के अनुपात में कम हुई है। निजी क्षेत्र के ३२ संस्थाओं ने राज्य सरकार के कहने से गत वर्ष श्रमिकों को ५ रु० मासिक मंहगाई भत्ते में वृद्धि अन्तरिम सहायता के रूप में दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व सरकारी कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ फरवरी, १९६४ में लिये गए निर्णय के फलस्वरूप हो चुका था। राज्य कर्मचारियों व सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को मंहगाई भत्ते में ५ रुपये प्रतिमास की वृद्धि १ अगस्त सन् ६४ से दुबारा मिली। मंहगाई भत्ते और उपभोक्ता वस्तुओं के भावों की दरों में कड़ीबंधन की संभावना का परीक्षण करने के लिए सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जो औद्योगिक संचालकों व श्रमिक संघों के सहयोग से सरकार के विचाराधीन है। कुछ परिशिष्ठित रोजगारों में न्यूनतम वेतन दरें परिवर्तित कर दी गई हैं और कुछ नये रोजगारों को परिशिष्ट में शामिल करने का विचार है, ताकि इन रोजगारों पर भी न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जा सके।

३३. पेय-जल-दाय योजनाएं भली भांति प्रगति कर रही हैं और इनके लिए निर्धारित धनराशि का पूरा उपयोग हो रहा है। आशा है कि सन् १९६४-६५ में १३ शहरी और २१ देहाती पेय-जल-दाय योजनाएं पूरी हो जावेंगी। १९६५-६६ में १६ शहरों तथा १५ ग्रामीण बस्तियों में पेय-जल-दाय योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है।

३४. विकास कार्यक्रमों को तीव्रगति से बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने प्रशासन की प्रक्रिया के परीक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया है क्योंकि इसका जनता के नित्य जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसी आर्थिक आयोजना प्रणाली में जिसका लक्ष्य समाजवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना हो, जन-जीवन के विविध क्षेत्रों में राज्य का अधिक से अधिक कार्यभाग अनिवार्य मानना पड़ेगा। अतः यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रशासन, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है, कुशलतापूर्वक चले, जनता की इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हो तथा निर्विवाद रूप से सत्यनिष्ठ

हो। प्रशासन में देरी को रोकने और प्रशासन के सम्पर्क में आने वाली जनता की शिकायतों का निवारण करने की दृष्टि से सरकार ने जन-अभियोग-निराकरण विभाग स्थापित किया है। देर लगने और "लाल फीताशाही" संबंधी जनता की शिकायतें इस विभाग में सुनी जाती हैं। सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन एवं फिक्सेशन संबंधी तथा वर्तमान कर्मचारियों के वेतन, भत्ता आदि न मिलने की शिकायतें भी इसी विभाग में सुनी जाती हैं। इस विभाग ने अपने इस अल्प कार्यकाल में अब तक १५६ व्यक्तियों का वास्तविक निराकरण किया है।

३५. मोटे तौर पर यह निश्चिय किया गया है कि चतुर्थ योजना पर ४३८.४० करोड़ रुपये का व्यय किया जाय। ऐसा अनुमान है कि सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में कुल व्यय ८४२.०० करोड़ रुपये का होगा। इसके फलस्वरूप १९६०-६१ के मूल्यों पर आधारित राज्य की आय १९६५-६६ में ७९०.९३ करोड़ रुपये से, सन् १९७०-७१ में बढ़ कर १०७२.०० करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। व्यक्तिगत आय १९६०-६१ के मूल्यों पर ही, १९६५-६६ में ३५५ रुपये से, १९७०-७१ में बढ़कर ४१८ रुपये हो जाने की आशा है। चतुर्थ योजनाकाल में राज्य की आय-वृद्धि की दर ६.२८ प्रतिशत वार्षिक आंकी गई है। चतुर्थ योजना के प्रारूप में कृषि, सिंचाई व विद्युत् उत्पादन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।

३६. गत वर्ष राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। इस अवधि में २०० डकैत गिरफ्तार किये गये, एक ने आत्मसमर्पण किया और सात संघर्ष में गोली से मारे गये।

३७. देश की राजभाषा के प्रश्न के संबंध में कुछ भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं और देश में कुछ खेदजनक घटनाएं भी घटी हैं। जो हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई हैं उनसे हमें भारी दुःख हुआ है और हमें आशा है कि इस प्रश्न पर उठा विवाद शीघ्र ही सुलझाया जावेगा।

३८. जिस मुख्य कार्य के लिये आपको यहां आमंत्रित किया गया है वह आगामी आर्थिक वर्ष में इस राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार-विमर्ष करना एवं तत्संबंधी आवश्यक कानून बनाना है। निःसन्देह, आप ऐसे अन्य कानून बनाने में भी अपनी बुद्धि एवं अनुभव का उपयोग करेंगे, जिनसे समाज वादी-समाज-व्यवस्था की दिशा में यह राज्य प्रगति कर सके, जिसके प्रति यह सरकार वचनबद्ध है और जो हम सबको अभीष्ठ है।

३९. मैंने उन कामों का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जो सरकार कर रही है, और उन महत्वपूर्ण कायो का भी जो अभी करने हैं। इसके लिये सरकार को आपके पथप्रदर्शन, सम्मति और सहयोग की अपेक्षा होगी। मुझे विश्वास है कि आप अपने कर्त्तव्यों को सफलतापूर्वक निभायेंगे।

जय हिन्द।

शुद्धि–पत्र

(बुधवार, दिनांक २४ फरवरी, १६६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
आ	१४	(मांलडगढ़)	(मांडलगढ़)
	प्रथम स्कम्भ		
ई	२०	(जालौरसु०)	(जालौर–सु०)
	द्वितीय स्कम्भ		
ओ	१५	ढावरिया	ढावरिया
औ	८	सहका रिता	सहकारिता
अं	२	आयुवद ।	आयुर्वेद ।
१	७	श्री बद्री-प्रसाद	श्री बद्रीप्रसाद
२	१४	सभा सदन के	सभा के
७	१७	दृष्टि बाहर	दृष्टि से बाहर
१८	अन्तिम से २	कार्य अन्तर्गत	कार्य के अन्तर्गत
२६	८	घटनाएं	घटनाएं
,,	२५	कायो	कार्यों

(2)

राजस्थान विधान सभा

सदस्य नामावली

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा)

श्री अभयसिंह (बस्सी)

श्री अलदाराम मेणा (सुमेरपुर-सु०)

श्री अमरसिंह (दूदू)

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा)

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर शहर–प्रथम)

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़)

श्री बालकृष्ण कौल (अजमेर शहर-पूर्व)

श्री बालूराम चौधरी (फतहपुर)

श्री बरकतुल्ला खां (जोधपुर शहर–द्वितीय)

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू)

श्री भरतलाल (मलारना चौर)

श्री भवानीशंकर नन्दवाना (कपासिन)

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

श्री भीमसिंह (नवलगढ़)

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (करौली)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़)

श्री चौथमल वर्मा (भिनाय-सु०)

श्री छत्रसिंह (आहोर)

श्री छोटूराम (नीम का थाना)

श्री छुट्टनलाल (नादोती)

श्री चोसरसिंह बाबेल (बेंगू)

श्री दलपतसिंह (आबू)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)

श्री दयाचन्द सौन (बारां-सु०)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०)

(3)

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०)
श्री धर्माराम आर्य (सिरोही-सु०)
श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)
श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी-सु०)
श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़)
श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)
श्री फतेहसिंह (चोहटन)
श्री गणेशलाल (भदेसर)
श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा-मलानी)
श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली)
श्री गंगासिह राठोड़ (जायल)
श्री गणपतिलाल वर्मा (मांलडगढ़)
श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना)
श्री घासीराम यादव (बहरोड़)
श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु०)
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल)
श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी)
वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर)
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी (थोई)
श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां)
रिक्त (नोहर)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (केकड़ी)
श्री हरिदेव जोशी (घाटोल)
श्री हरिकिशन (राजगढ़)
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०)
श्री हरिश्चन्द्र (झालरापाटन)
श्री हरलाल (प्रतापगढ़)
श्री हरफूल (खंडार)
श्री हरिशंकर (धौलपुर)
श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी)
श्री हीराभाई (कुशलगढ़)
महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर)
श्री जगनसिंह (दांता-रामगढ़)
श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी)
श्री जयलाल (डग)
श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)
श्री जयसिंह (मालपुरा)
श्री जावन्दसिंह (करणपुर)
श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)
ठा० श्री जीवराजसिंह (गुड़ा)
श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)
श्री जुगलाल (रावतसर)
श्री जुझारसिंह (चेचट)

(५)

[इ

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
श्रीमती कमला बेनीवाल (बैराठ)
श्री कानाभाई नुवाल (शाहपुरा-सु०)
श्री केदारनाथ (गंगानगर)
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़)
श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)
रिक्त (ब्यावर)
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)
श्री लालाराम (फलौदी-सु०)
श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०)
महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर)
श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा)
श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू)
कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद)
श्री मजलिसखां (कामां)
श्री मालमसिंह (भीनमाल)
श्री मांगीलाल रिणवा (रायपुर)
श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)
श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़)
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
राजा श्री मानसिंह (डीग)
श्री मथुरादास माथुर (लाडनूं)
श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई)
श्री मावा (सलूम्बर)
श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर)
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
श्री मोहनराज (बाली)
श्री मोहरसिंह राठोड़ (चूरू)
श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा)
श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना)
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना)
श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली)
श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)
श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)
श्री नाना राठोड़ (फलासिया)
राव श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा)
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थीलाल (नदबई)
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करौल (चाकसू)
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता)
श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द)
श्रीमती निर्मलादेवी नाहर (भीलवाड़ा)
श्री परसराम मदेरणा (ओसियां)
श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़)
डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी-पश्चिम)

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर)
श्री प्रभूलाल 'सैन्टर' (खानपुर)
रिक्त (राजाखेड़ा)
श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)
राव श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी)
ठा० श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ (मंडावा)
श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)
श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)
श्री रामचन्द्र (श्रीमाधोपुर)
श्री रामदेवसिंह (सिंगरावट)
श्री रामकिशन (वैर)
श्री रामनिवास मिर्धा (नागोर)
श्री रामप्रसाद लड्ढा (जहाजपुर)
श्री रामसहाय (लालसोट)
श्री रामसिंह (सवाईमाधोपुर)
श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा)
श्री रावतराम (सादूलपुर)
श्री रूपाराम पंवार (नोखा)
श्री सागरमल (फुलेरा)
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)
श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०)
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)
श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०)
श्री शंकरलाल जाट (सादड़ी)
श्री शीशराम ओला (खेतड़ी)
श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़-सु०)
श्री मान्धातासिंह (महुवा)
श्री कुम्भाराम आर्य (हनुमानगढ़)
श्री सौभागसिंह (शेरगढ़)
श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू)
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर)
श्री स्वरूपसिंह (लूनी)
श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)
श्री उदयलाल बदिया (लसाडिया)
कुमारी उमा माथुर (रामगढ़)
रावत श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर)
श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)
श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०)
श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)
श्री विरधाराम फुलवारिया (जालौरसु.)
श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०)
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर)

राजस्थान विधान सभा

अध्यक्ष

श्री रामनिवास मिर्धा

उपाध्यक्ष

राव श्री नारायणसिंह मसूदा

सभापति तालिका

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री भीमसेन

श्री केसरीसिंह (पाली)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

सचिव

श्री अनोपसिंह, आर. एच. जे. एस.

राजस्थान विधान सभा की विभिन्न समितियों (१९६४-६५) के सदस्य

याचिका समिति

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति
२. श्री जयनारायण सालोदिया
३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
४. रावत श्री उम्मेदसिंह
५. श्री तेजाराम गहलोत
६. श्री हनुमानसिंह चौधरी
७. श्री जुगलाल
८. श्री मनफूलसिंह
९. श्री हरिराम चौहान
१०. श्री नाथूराम (१२७)

विशेषाधिकार समिति

१. राव श्री नारायणसिंह मसूदा, सभापति
२. श्री बृजसुन्दर शर्मा
३. श्री मांगीलाल रिणवा
४. श्री अमरसिंह (४)
५. श्री उदयलाल वर्दिया
६. कुं० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
७. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
८. श्री मजलिसखां
९. श्री माधोलाल खानपुरिया
१०. श्री देवीलाल मीणा

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

१. श्री फूलचन्द जैन, सभापति

२. श्री केसरीसिंह (८६)

३. श्री चौसरसिंह बाबेल

४. श्री विजयसिंह झाला

५. श्री नत्थीसिंह (१२५)

६. श्रीमती सुमित्रा

७. श्री गिरधारीलाल व्यास

८. श्री गोकुलचन्द

९. श्री रावतराम

१०. श्री हरिकिशन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

१. श्री जुझारसिंह, सभापति

२. श्री जेठमल बरबड़

३. वैद्य श्री गोविन्दसहाय

४. श्री मूलचन्द चौधरी

५. श्री जयकृष्ण शर्मा

नियम समिति

१. राव श्री नारायणसिंह मसूदा

२. श्री बृजसुन्दर शर्मा

३. श्री रामानन्द अग्रवाल

४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

५. श्री मानिकचन्द सुराणा

६. श्री मोहरसिंह राठोड़

७. श्री अमरसिंह (दूदू)

८. श्री रघुनाथ बिश्नोई

९. श्री फूलचन्द जैन

माननीय अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति हैं।

गृह समिति

१. श्री भीमसेन, सभापति

२. श्री छत्रसिंह

३. श्री गणपतिलाल वर्मा

४. श्रीमती नगेन्द्रबाला

५. श्री चन्द्रसिंह बर्फा

जनलेखा समिति

१. श्री हरिदेव जोशी, सभापति
२. कुमारी उमा माथुर
३. श्री कृष्णकुमार गोयल
४. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
५. श्री गोविन्दसिंह
६. श्री चौथमल
७. श्री बालूराम चौधरी
८. श्री मान्धातासिंह
९. श्री मुरलीधर व्यास
१०. श्री मोहनराज

प्राक्कलन समिति

१. श्री मोतीलाल चौधरी, सभापति
२. श्री अभयसिंह
३. श्री उमरावसिंह ढावरिया
४. श्री किशनसिंह बाटड़
५. श्री गंगासिंह परिहार
६. श्रीमती गोरी पूनिया
७. श्री जोधसिंह
८. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
९. श्री भैरवलाल "कालाबादल"
१०. श्री मथुरेशबिहारी माथुर
११. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१२. श्री रघुनाथ बिश्नोई
१३. श्री रविशंकर याज्ञिक
१४. श्री श्रवणलाल
१५. श्री सांवलियाराम

श्री]

राजस्थान राज्य का मंत्रिमंडल

१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री— सामान्य प्रशासन, राजनीतिक, नियुक्ति, गृह (कारावास के अतिरिक्त) खनिज तथा खनिज आधारित उद्योग ।

२. श्री हरिभाऊ उपाध्याय—शिक्षा, देवस्थान, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण ।

३. श्री मथुरादास माथुर—आयोजन, सांख्यिकीय, राजकीय उद्योग (औद्योगिक व खनिज), विधि, न्याय, विधान सभा एवं चुनाव, जन-सम्पर्क, सहका रिता, यातायात, मुद्रणालय, एवं कारावास ।

४. श्री नाथूराम मिर्धा—कृषि, पशुपालन, सिंचाई (बड़ी, मध्यम व छोटी सिंचाई योजनाएं तथा बाढ़ नियन्त्रण) एवं खाद्य ।

५. श्री हरिश्चन्द्र—सार्वजनिक निर्माण, विद्युत् एवं उद्योग तथा नागरिक रसद ।

६. श्री बालकृष्ण कौल—वित्त, आबकारी एवं कर ।

७. श्री भीखाभाई—पंचायती राज, सामुदायिक विकास, वन, श्रम, एवं आयुर्वेद ।

८. श्री बरकतुल्लाखां—चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, नगर आयोजन एवं गृह निर्माण (हाउसिंग) ।

९. श्री कुम्भाराम आर्य—राजस्व (कोलोनाइजेशन सहित) एवं सहायता एवं पुनर्वास ।

उप–मन्त्री

१. श्री दौलतराम सारण—बड़ी सिंचाई योजनाएं स्वायत्त शासन एवं आयुर्वेद ।

२. श्रीमती कमला बेनीवाल—आयोजन, वित्त, अकाल सहायता एवं राजकीय उद्योग (औद्योगिक, खनिज, राष्ट्रीयकृत यातायात, मुद्रणालय आदि) ।

३. श्रीमती प्रभा मिश्रा—चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं विधि ।

४. श्री परसराम मदेरणा—सामान्य प्रशासन, आबकारी एवं कर, सहायता एवं पुनर्वास, न्याय तथा गृह निर्माण एवं नगर विकास प्रन्यास ।

५. श्री भवानीशंकर नन्दवाना—सार्वजनिक निर्माण, श्रम, वन, पंचायत एवं सामुदायिक विकास ।

६. श्री रामप्रसाद लड्ढा—राजस्व तथा कोलोनाइजेशन, देवस्थान तथा खनिज ।

७. श्री चन्दनमल वैद—उद्योग (खादी एवं ग्रामोद्योग को छोड़कर) शक्ति एवं नागरिक रसद ।

८. श्री दिनेशराय डांगी—मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाएं, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं अल्प बचत ।

९. श्री निरंजननाथ आचार्य—शिक्षा एवं गृह ।

१०. श्री भीमसिंह—कृषि तथा पशु-पालन एवं यातायात ।

———